राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक प.6(12)आ0कृ0/गु0नि0/2017–18/ 755–1011 दिनांक :– 16/05/17

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (समस्त)
2. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड (समस्त)
3. परियोजना निदेशक कृषि (विस्तार), सीएडी, कोटा
4. उप निदेशक कृषि विस्तार आईजीएनपी, बीकानेर।
5. उप निदेशक कृषि (विस्तार),जिला परिषद (समस्त) ।
6. उप/सहायक निदेशक उद्यान (समस्त)।
7. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), (समस्त)
8. जिला विस्तार अधिकारी, मोहनगढ/भीकमपुर/बज्जू/सुल्तानपुर/कोटा/बून्दी

विषयः–गुण नियंत्रण कार्यक्रम अर्न्तगत दिशा निर्देश एवं वर्ष 2017–18 के उर्वरक एवं बीज नमूनों के लक्ष्य बाबत ।

राज्य में उपलब्ध कराये जा रहे विभिन्न कृषि आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से गुण नियंत्रण कार्य के दिशा निर्देश एवं वर्ष 2017–18 के लिये उर्वरक, जैव उर्वरक, बीज व बी.टी. कॉटन नमूनों के लक्ष्य संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि दिशा निर्देशों की पालना करते हुये लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति कर संलग्न प्रारुपों में संयुक्त निदेशक कृषि (गु0नि0) को साप्ताहिक/मासिक सूचनायें भिजवाना सुनिश्चित करें।

गुण नियंत्रण कार्य हेतु प्रस्तावित बजट राशि का विवरण भी संलग्न कर भिजवाया जा रहा है जिसे **योजना शाखा से बजट आवंटन उपरान्त ही व्यय किया जावे।**

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त कृषि राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प.6(12)आ0कृ0/गु0नि0/2017–18/ 755–1011 दिनांक :– 16/05/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. निजि सचिव, आयुक्त कृषि, राजस्थान जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त (समस्त)/जिला कलेक्टर (समस्त)।
5. अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार/आदान/अनुसंधान/समन्वयक/एनएमओओपी), मुख्यालय।
6. संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन/आईसोपॉम/आदान/एटीसी/विस्तार/पौ0सं0/डब्लू0यू0सी0/रसायन/(एम एण्ड ई) मुख्यालय/वनस्पति दुर्गापुरा/पौध व्याधि, दुर्गापुरा।
7. संयुक्त निदेशक कृषि (योजना) मु0 जयपुर को भेजकर निवेदन है कि कृपया संलग्न तालिकानुसार सम्बन्धित अधिकारियों को बजट आवंटन कराने का श्रम करावें ।
8. मुख्य सांख्यिकी अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, जयपुर ।
9. समस्त प्रभारी अधिकारी, राजकीय उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला दुर्गापुरा, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/भरतपुर/अजमेर/कोटा/श्रीगंगानगर।
10. राजकीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला दुर्गापुरा–जयपुर/ जोधपुर/कोटा/चित्तौडगढ/अलवर/श्रीगंगानगर।
11. प्रभारी अधिकारी, राजकीय जैव उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला दुर्गापुरा–जयपुर।
12. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर कम्प्यूटर सेल, कृषि आयुक्तालय।
13. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, कृषि आयुक्तालय।

(सुरेश गौतम)
अतिरिक्त निदेशक कृषि (अनुसंधान)

कृषि आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देश

सामान्य बिन्दु :-

1. खण्डीय संयुक्त निदेशक कृषि बीज नमूनों में उपजिला व जिलास्तर के निरीक्षकों को लगभग 25 व खण्ड स्तर के निरीक्षकों को 19 नमूने प्रति निरीक्षक तथा उर्वरक नमूनों में संयुक्त निदेशक कृषि उदयपुर, परियोजना निदेशक कृषि सीएडी कोटा, उपनिदेशक कृषि उदयपुर, चित्तौड, भीलवाडा, कोटा कार्यालयों में पदस्थापित प्रत्येक निरीक्षक हेतु 100, संयुक्त निदेशक कृषि भीलवाडा व कोटा कार्यालय में पदस्थापित प्रत्येक निरीक्षक को 75 व अन्य संयुक्त निदेशक कृषि कार्यालयों में पदस्थापित निरीक्षकों को 15 व उपजिला व जिले में पदस्थापित निरीक्षकों को 30 नमूने प्रति निरीक्षक आंवटित के अनुपात में यथासंभव आंवटन करें। जिलेवार आवंटित लक्ष्यों का अधीनस्थ कार्यरत निरीक्षकों को इस प्रकार आवंटन करें कि निरीक्षक के रिक्त पदों के लक्ष्यों की भी पूर्ति हो सकें एवं प्रयोगशालावार विश्लेषण क्षमता का पूर्ण उपयोग हो सके।

2. जिलों को आवंटित नमूनों के लक्ष्य न्यूनतम है जो कि सांकेतिक होगें, निरीक्षक स्थिति के अनुसार इससे अधिक नमूने लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा। **खंडीय संयुक्त निदेशक/परियोजना निदेशक कृषि प्रयोगशालाओं की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने हेतु अधीनस्थ जिलों के निरीक्षकों को लक्ष्य आवंटन के समय पाबंद करे कि प्रत्येक प्रयोगशाला को निर्धारित अनुपात में प्रारम्भ से ही माहवार नमूनें भिजवायें।** निरीक्षक वार लक्ष्य आवंटन की सूचना संयुक्त निदेशक कृषि (गु.नि.) जयपुर को भी प्रेषित करें।

-:प्रयोगशाला वार नमूने भेजने का अनुपातः-

उर्वरक

क्रं.सं.	नाम उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला	नमूने भेजने का अनुपात
1	दुर्गापुरा, जयपुर	20%
2	उदयपुर	20%
3	जोधपुर	15%
4	भरतपुर	15%
5	अजमेर	10%
6	कोटा	10%
7	श्रीगंगानगर	10%

बीज

क्रं.सं.	नाम बीज परीक्षण प्रयोगशाला	नमूने भेजने का अनुपात
1	दुर्गापुरा, जयपुर	31.25%
2	जोधपुर	12.50%
3	अलवर	12.50%
4	चित्तौडगढ़	12.50%
5	कोटा	15.50%
6	श्रीगंगानगर	15.75%

3. आदान निरीक्षक अपने अधिकारिता क्षेत्र में कार्यरत एवं बिक्री कर रहे उन आदान विक्रेताओं/निर्माताओं/उत्पादकों के नमूने आवश्यक रुप से लेवें जिनके यहां गत

तीन वर्षो में नमूने नहीं लिये गये है। सम्बन्धित उपनिदेशक कृषि (वि0) जिला परिषद इसकी पालना सुनिश्चित करेगें।

4. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार)/उप निदेशक कृषि (विस्तार) यह सुनिश्चित करेगें कि उनके अधिकारिता क्षेत्र के समस्त कृषि आदान विक्रेताओं को व्यवसाय से सम्बन्धित विभिन्न नियमों/अधिनियमों/आदेशों की विधिवत जानकारी हो। इस हेतु क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार किया जावें तथा क्षैत्र के **डीलर्स को प्रत्येक फसल मौसम पूर्व प्रशिक्षित किया जावें। प्रशिक्षणों की तिथियों का निर्धारण कर सूचना मुख्यालय को भी प्रेषित करें**। सामान्यतः डीलर्स प्रशिक्षण का विवरण मुख्यालय को प्रेषित नही किया जा रहा है। अतः इन बैठकों का कार्यवाही विवरण भी संधारित कर सूचित किया जावें।

5. अनुज्ञापन प्राधिकारी/अधिसूचित प्राधिकारी/कृषि आदान निरीक्षक, आदान विक्रेताओं के निरीक्षण के समय यह भी देखेगें कि विक्रय परिसर पर अनुज्ञापत्र/प्राधिकार पत्र की मूल अथवा फोटो प्रति, प्रतिदिन की आदानवार स्टॉक की सूचना, मूल्य सूची का प्रदर्शन आदि नियमित रूप से किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें, चाहे उस विक्रेता के परिसर से नमूना लिया गया हो अथवा नहीं।

6. किसी भी विक्रेता द्वारा अवधिपार, क्षतिग्रस्त एवं अमानक बीज, उर्वरक व पौध संरक्षण रसायन विक्रय परिसर पर रखना एवं बेचना दण्डनीय अपराध है। यदि किसी विक्रेता के पास अवधिपार एवं क्षतिग्रस्त तथा अमानक आदान हो तो संबंधित अनुज्ञापन पत्र/प्राधिकार पत्र जारी करने वाले अधिकारी को सूचित कर नियमानुसार निस्तारण करवाये जाने की कार्यवाही करनी चाहिये इस हेतु क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार करें।

7. कई बार आदान विक्रेता आदान की पैकिंग पर छपे मूल्य सहित अन्य सूचनाओं को परिवर्तित कर देते है अथवा पैंकिग पर स्टिकर आदि लगाकर मूल्य आदि परिवर्तित कर देते है इस ओर गंभीरता से ध्यान दिया जायें।

8. कृषि आदान निरीक्षकों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि उनके अधिकारिता क्षेत्र में वितरित हो रहे विभिन्न कृषि आदानों के बिल कृषकों/क्रेताओं को आवश्यक रुप से निर्धारित प्रपत्र में दिये जा रहे हैं। बिल में बैच नं0/लॉट न0, वैधता तिथि, उत्पादक/निर्माता आदि का उल्लेख होना आवश्यक है। अनियमितता करने वाले व्यवसायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

9. किसी भी विक्रेता/निर्माता का अनुज्ञापन पत्र/प्राधिकार पत्र सम्बन्धित अनुज्ञापन अधिकारी/अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा निलम्बन/निरस्त अथवा किसी उत्पाद को हटाये जाने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति/फर्म को आवश्यक रूप से सूचित किया जावे कि उनके द्वारा नियमानुसार फीस जमा करवा कर अपीलॉन्ट ॲथोरिटी (आयुक्त/निदेशक, कृषि) राज. जयपुर को पारित आदेशों के खिलाफ 30 दिवस में अपील दायर की जा सकती है।